न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2024/256

1. कीर्ति गुप्ता पुत्री श्री मनोज कुमार जाति महाजन निवासी–खादी भण्डार के सामने, बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर राज0।

–अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती गोपाली देवी पुत्री रामनिवास पत्नि श्री दामोदर प्रसाद जाति महाजन, निवासी ग्राम बस्सी, तहसील बस्सी, जयपुर राज० ।

–मुख्य रेस्पोडेन्ट

2. राधेश्याम दत्तक पुत्र रामनिवास जाति महाजन, निवासी 2, जी.डी., रेल विहार, सेक्टर 9, विद्याधर नगर, जयपुर ।
3. सरकार जरिये तहसीलदार तूंगा, तहसील तूंगा, जयपुर ।

–प्रोफार्मा रेस्पोडेन्ट

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखिलाफ निर्णय दिनांक 31/5/2024 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम जयपुर जिला जयपुर अपील संख्या 267/2023 जिसके द्वारा उन्होंने अपीलार्थी के हक मे पारित नामान्तकरण न. 1199 दिनांक 21.06.2023 तहसीलदार तूंगा को निरस्त कर पत्रावली को रिमाण्ड कर दिया ।

उपस्थित–

1. श्री निर्मल कुमार जैन वकील अपीलान्ट
2. श्री राजाराम चौधरी वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –14.08.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति0 जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के निर्णय दिनांक 31.05.2024 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने ग्राम तूंगा के खसरा नं. 1360, 1361, 166, 167, 167/2135, 168, 169 कुल किता 7 कुल रकबा 2.34 है0 के तहसीलदार तूंगा द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 1199 दिनांक 21.06.2023 को गलत बताते हुये इसकी अपील अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार तूंगा का आदेश दिनांक 21.06.2023 को निरस्त करते हुये प्रकरण रिमाण्ड कर उभय पक्षकारान एवं अपीलाधीन भूमि की वर्तमान जमाबन्दी में निहित समस्त काश्तकार को विधिवत नोटिस जारी कर, नियमानुसार सुनवाई

संभागीय आयुक्त
जयपुर

का समुचित अवसर देकर, प्रस्तुत साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात के आधार पर बाद जांच कानूनी प्रावधान तथा प्रक्रिया अनुसार एवं न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी मे विचाराधीन दावे में पारित निर्णय तथा गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करने के आदेश दिनांक 31.05.2024 को दिए गये।

3. अति0 जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 31.05.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट कीर्ति गुप्ता पुत्री श्री मनोज कुमार द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के निर्णय दिनांक 31.05.2024 निरस्त कर नामान्तरकण संख्या 1199 दिनांक 21.06.2023 को बहाल किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं व राजकीय अधिवक्ता की बहस, बहस एडमिशन पर सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तकरण न. 1199 दिनांक 21/6/2023 के विरूद्व अपील लम्बित थी तथा उक्त नामान्तकरण स्पष्ट रूप से रजिस्टर्ड उपहार पत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया है ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय को केवल और केवल मात्र यह देखना था कि तहसीलदार तूंगा ने रजिर्स्टड उपहार पत्र के आधार पर स्वीकृत नामान्तकरण न. 1199 दिनांक 21/06/2023 को स्वीकृत करने मे क्या अवैधानिकता की है या किस कानून का उल्लघंन किया है या क्या तहसीलदार तूंगा को इस नामान्तकरण को स्वीकृत करने का क्षेत्राधिकार नही था उक्त तीनो ही बिन्दु रेस्पोडेन्ट नं. 1 (तत्कालीन अपीलार्थी) के खिलाफ थे, तहसीलदार ने रजिस्टर्ड उपहार पत्र के आधार पर नामान्तकरण पूर्णतया कानूनी रूप से स्वीकृत किया था तथा उपहारकर्ता एक रिकॉर्डेड खातेदार था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित नामान्तकरण व आदेश की वैधानिकता को नहीं देखा तथा बिना किसी आधार के उक्त नामान्तकरण को निरस्त कर दिया।स्व. रामनिवास जी की विरासत का नामान्तकरण सं. 24 दिनांक 13/04/1973 अर्थात आज से करीब 51 वर्ष पूर्व ही राधेश्याम रेस्पोडेन्ट न. 2 के नाम स्वीकृत हो चुका था जिस नामान्तकरण को सभी के समक्ष नायब तहसीलदार तूंगा ने स्वीकृत किया था जिस नामान्तकरण के विरूद्व रेस्पोडेन्ट न. 1 ने कोई भी अपील प्रस्तुत नही की है रेस्पोडेन्ट न. 2 राधेश्याम जी गत 51 वर्षो से वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है रेस्पोडेन्ट न. 1 ने कभी भी इस बाबत कोई भी एतराज नही किया इतने वर्ष बाद उसने फर्जी तथ्यो पर यह अपील पेश की है चूंकी 13/04/1973 के नामान्तकरण बाबत ना तो कोई अपील प्रस्तुत की ना ही इस बाबत कोई विवाद था किन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर सन् 1973 के विरासत नामान्तकरण पर बिना वजह शंका करते हुये रजिस्टर्ड उपहार पत्र के नामान्तकरण को निरस्त कर दिया है।अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के रेस्पोडेन्ट न. 1 को रामनिवास की जायन्दा पुत्री बताते हुये धारा 6 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो का वर्णन किया है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि नामान्तकरण की कार्यवाही मे किसी भी पक्ष के अधिकार तय नही होते है नामान्तकरण कि कार्यवाही एक फिस्कल प्रोसिडिंग होती है। स्वंय रेस्पोडेन्ट न. 1 ने खातेदारी घोषणा का वाद सहायक कलेक्टर बस्सी के यहॉ प्रस्तुत कर रखा है अगर रेस्पोडेन्ट न. 1 का कोई हक अधिकार होगा तो वह नियमित वाद मे तय हो जावेगा लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने स्वय अपनी तरफ से रेस्पोडेन्ट न. 1 को हक अधिकारी बताते हुये आक्षेपित आदेश पारित किया है।मूल खातेदार स्व. रामनिवास जी ने अपने जीवन काल मे ही राधेश्याम जी को दत्तक पुत्र ले लिया था, रामनिवास जी एंव उसकी पत्नि श्रीमति गोविन्दी देवी हमेशा अपने जीवन काल मे अपने पुत्र राधेश्याम जी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

के साथ ही रहे। समस्त दस्तावेजो मे पिता का नाम रामनिवास ही अंकित है राधेश्याम जी को अपने जायन्दा पिता जुगल किशोर जी से सम्पति मे किसी भी प्रकार का हिस्सा नही मिला है स्वयं रामनिवास जी ने अपने दत्तक पुत्र व पुत्री मे बँटवारा कर दिया था तथा रेस्पोडेन्ट न. 1 के नाम भी पृथक से भूमि लगवा दी थी तथा नकद व जेवरात आदि दे दिये थे इसी आधार पर स्वंय गोपाली देवी रेस्पोडेन्ट न. 1 की जानकारी व सहमति से ही राधेश्याम जी के नाम नामान्तकरण सन् 1973 मे ही स्वीकृत हो गया था। राधेश्याम जी गत 51 वर्षो से रिकॉर्डेड खातेदार है ऐसे मे उन्हे अपनी भूमि का हर तरह से उपयोग उपभोग हस्तानान्तरण करने के अधिकार प्राप्त थे तथा उन्होने अपनी पौत्री के हक मे रजिस्टर्ड उपहार पत्र निष्पादित किया था तथा रजिस्टर्ड उपहार पत्र के आधार पर नामान्तकरण स्वीकृत किया गया था। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी तथ्यों पर गौर किये बिनाअपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति० जिला कलक्टर प्रथम जयपुर दिनांक 31.05.2024 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रश्नगत भूमि हाल खसरा नंबर 1360, 1361, 166, 167, 167/ 2135, 168, 169 कुल किता 7 कुल रकबा 2.34 हैक्टेयर वाके ग्राम तूंगा, तहसील तूंगा के मूल खातेदार रेस्पो० संख्या 1 गोपाली देवी के पिता रामनिवास पुत्र रूडमल थे एवं रामनिवास के एकमात्र पुत्री संतान गोपाली देवी हुई एवं गोपाली देवी के अलावा स्व० रामनिवास के कोई पुत्र या पुत्री संतान नहीं हुई । ऐसी स्थिति में रेस्पो० संख्या 1 गोपाली देवी एकमात्र प्रथम श्रेणी की वारिस है। रेस्पो० संख्या 2 जो कि जुगलकिशोर का पुत्र है उसने अपने आपको रामनिवास का दत्तक पुत्र बताते हुये एवं पगडी के आधार पर अपने हक में नामान्तकरण खुलवा लिया जबकि रेस्पो० संख्या 2 के हक में कोई पंजीबद्ध गोदनामा नहीं है एवं उसके अलावा रामनिवास के एकमात्र जायन्दा पुत्री के जीवित रहते हुये रेस्पो० संख्या 2 ने गोपाली देवी की पैतृक भूमि को हडप करने के लिये साजिशाना तौर पर नामान्तकरण तस्दीक करवाया है। जबकि रेस्पो० संख्या 2 के हक में कोई गोदनामा उल्लेखित नहीं है। उसके पश्चात रेस्पो संख्या 2 ने गलत नीयत के चलते गोपाली देवी की पैतृक सम्पत्ति की गिफ्ट डीड अपनी पौत्री अपीलांट के हक में कर दी जो कि गोपाली देवी के हक व अधिकारों के मुकाबले प्रारम्भ से शून्य है। गोपाली देवी के पिता स्व० रामनिवास एवं माता ने कभी भी रेस्पो० संख्या 2 को उसके जन्मदाता पिता से गोद नहीं लिया एवं रेस्पो० संख्या 1 के माता–पिता ने कभी भी रेस्पो० संख्या 2 के पक्ष में कोई गोद की लिखावट नहीं की गयी। रेस्पो० संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति जो कि रेस्पो० संख्या 2 के नाम अवैध रूप से दर्ज हुई उसके संबंध में रेस्पो० संख्या 1 ने सहायक कलक्टर महोदय बस्सी जिला जयपुर के समक्ष घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसमें रेस्पो० संख्या दो वकातलन उपस्थित है। रेस्पो० संख्या 2 द्वारा रेस्पो० संख्या 3 के हक में रजि० उपहार पत्र निष्पादित किया गया एवं जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तूंगा ने रेस्पो० संख्या 1 को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन नामान्तकरण द्वारा तस्दीक कर भूमि का हस्तांतरण का अपीलांट के हक में कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है।रेस्पो० संख्या 1 गोपाल देवी रामनिवास की जायन्दा पुत्री है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार संशोधित अधिनियम 2005 की धारा 6 में संशोधन करते हुए पिता की सम्पत्ति में पुत्री को भी जन्म से पुत्र के समान उत्तराधिकारी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

माना है अर्थात् पुत्र और पुत्री को पिता संपत्ति में बराबर का उत्तराधिकार मिलेगा चाहे उसके पिता की मृत्यु कभी भी हुई हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम जयपुर ने विधिवत् हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रश्नगत भूमि को रेस्पो0 संख्या 1 की पैतृक भूमि मानते हुये तहसीलदार तूंगा द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 1199 दिनांक 21.06.2023 को निरस्त किया गया है। जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि ग्राम तूंगा के खसरा नं. 1360, 1361, 166, 167, 167/2135, 168, 169 कुल किता 7 कुल रकबा 2.34 है0 के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार रामनिवास पुत्र रूडमल था एवं प्रकरण में मूल विवाद मृतक खातेदार रामनिवास पुत्र रूडमलकी विरासतको लेकर है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने उक्त भूमि का नामान्तरकरण बिना किसी गोदनामे के रेस्पो0 संख्या 2 के हक में होने एवं तत्पश्चात् रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा अपनी पौत्री अपीलांट के हक में उपहार पत्र के आधार पर तहसीलदार तूंगा द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 1199 दिनांक 21.06.2023 को गलत बताते हुये इसकी अपील अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के समक्ष प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रश्नगत भूमि को रेस्पो0 संख्या 1 की पैतृक भूमि मानते हुये तहसीलदार तूंगा द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 1199 को निरस्त किया गया है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि सर्वप्रथम रेस्पो0 संख्या 2 ने स्वयं ने यह कथन किया है कि रेस्पो0 संख्या 1 उसकी बहिन एवं मृतक खातेदार रामनिवास पुत्र रूडमल की एकमात्र पुत्री है। ऐसी स्थिति में यह स्वीकृत तथ्य है कि रेस्पो0 संख्या 1 मृतक खातेदार की पुत्री है और विधिक वारिस है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पिता की सम्पत्ति में पुत्री को भी जन्म से पुत्र के समान उत्तराधिकारी माना है अर्थात् पुत्री को पुत्र के समान पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार समाहित है।ऐसे में तहसीलदार तूंगा द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 के पैतृक भूमि में अधिकारों का समाप्त कर केवल अपीलांट के हक में नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना विधिसम्मत नहीं है। पूर्व में रेस्पो0 संख्या 2 के हक में तस्दीक नामान्तरकरण पगडी/गोदनामें के आधार पर खोला गया है जिसके संबंध में खातेदारी घोषणा का नियमित वाद सहायक कलेक्टर बस्सी के यहॉ विचाराधीन है जिसके तहत् अधिकारों का निर्धारण तय हो जावेगा। उक्त नियमित वाद के विचाराधीन रहते तहसीलदार तूंगा द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा विधिवत् ही उक्त सभी तथ्यों पर गौर व अवलोकन करने की उपरान्त ही तहसीलदार तूंगा का नामान्तरकरण संख्या 1199 आदेश दिनांक 21.06.2023 को निरस्त करते हुये प्रकरण रिमाण्ड कर उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर, नियमानुसार सुनवाई का समुचित अवसर देकर, प्रस्तुत साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात के आधार पर एवं न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी में विचाराधीन दावे में पारित निर्णय तथा गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करने के ही आदेश दिए गये हैं। जिससे अगर अपीलांट को कोई आपत्ति भी है तो वह तहसीलदार तूंगा के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नामान्तरकरण एक Fiscal Proceding है

इसके तहत् अधिकारों को निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम जयपुर का अपीलाधीन आदेश उचित व विधिसम्यक है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समक्षते हैं। न्यायालय द्वारा पूर्व में ही अपीलाधीन भूमि के संबंध में मूल विरासत के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 2024/294 उनवानी राधेश्याम बनाम गोपाली व अन्य में दिनांक 16.07.2024 को अपील निर्णित कर खारिज किया जा चुका है अतः प्रस्तुत अपील को बहस एडमिशन के स्तर पर ही खारिज किया जाना उचित समक्षते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट बहस एडमिशन के स्तर पर ही निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम जयपुर का निर्णय दिनांक 31.05.2024 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आकांक्षी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर